

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

2022/218

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज.)

(प्रशासन गांवो के संग अभियान - 2021)

"फॉलोअप शिविर"

पीठासीन अधिकारी :- जयसिंह आर.ए.एस.

मिसल नम्बर:-193 / 2022

किस्म प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

हरिसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी दलेलपुरा तह0 खेतड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं ने कैम्प-बबाई में उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 124 दिनांक 30.05.2022 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम रोहलाना का बास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 हाल खाता संख्या 34, 35 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि हरिराम पुत्र मूलचन्द के स्थान पर हरिसिंह पुत्र मूलचन्द दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 फॉलोअप कैम्प-बबाई में दिनांक 30.05.2022 को मजमें आम में सुनाया गया।</p>	


(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी